छत्तीसगढ़ शासन

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 21 जुलाई, 2015.

क्रमांक एफ 5-10/आठ-परि./2015.– छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) में और संशोधन कर निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की सम्भावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, अपर मुख्य सचिव (परिवहन), छत्तीसगढ़ शासन, (कक्ष क्रमांक एस-4-3), महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में –

(एक) (क) मद (चार) के उप-मद (घ) के खण्ड (1) के उप-खण्ड (अ) में, –

बिन्दु (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् –

''**टीप** – बिन्दु (ञ), (ट) एवं (ठ) के प्रयोजन हेतु 60 से अधिक बैठक क्षमता वाले वाहनों पर, 60 से अधिक प्रत्येक सीट हेतु मासिक कर की गणना, विद्यमान 60 सीट हेतु कर की मासिक दर के आनुपातिक होगी.''

(ख) मद (चार) के उप-मद (घ) के खण्ड (1) के उप-खण्ड (ब) में, –

बिन्दु (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएं, अर्थात् --

''टीप -- बिन्दु (झ), (ञ), एवं (ट) के प्रयोजन हेतु 60 से अधिक बैठक क्षमता वाले वाहनों पर, 60 से अधिक प्रत्येक सीट हेतु मासिक कर की गणना, विद्यमान 60 सीट हेतु कर की मासिक दर के आनुपातिक होगी.''

(ग) मद (चार) के उप-मद (घ) के खण्ड (1) के उप-खण्ड (ग) में, -

बिन्दु (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् -

''टीप -- बिन्दु (झ), (ञ), एवं (ट) के प्रयोजन हेतु 60 से अधिक बैठक क्षमता वाले वाहनों पर, 60 से अधिक प्रत्येक सीट हेतु मासिक कर की गणना, विद्यमान 60 सीट हेतु कर की मासिक दर के आनुपातिक होगी.''

(दो) (क) मद (चार) के उप-मद (घ) के खण्ड (2) के उप-खण्ड (ब) में, -

बिन्दु (त) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् -

''टीप -- बिन्दु (ड), (ढ), (ण) एवं (त) के प्रयोजन हेतु 60 से अधिक बैठक क्षमता वाले वाहनों पर, 60 से अधिक प्रत्येक सीट हेतु मासिक कर की गणना, विद्यमान 60 सीट हेतु कर की मासिक दर के आनुपातिक होगी.''

(ख) मद (चार) के उप-मद (घ) के खण्ड (2) के उप-खण्ड (ब) में, --

बिन्दु (त) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् --

''टीप -- बिन्दु (ठ), (ड), (ढ) एवं (ण) के प्रयोजन हेतु 60 से अधिक बैठक क्षमता वाले वाहनों पर, 60 से अधिक प्रत्येक सीट हेतु मासिक कर की गणना, विद्यमान 60 सीट हेतु कर की मासिक दर के आनुपातिक होगी.''

(ग) मद (चार) के उप-मद (घ) के खण्ड (2) के उप-खण्ड (ग) में, --

''टीप -- बिन्दु (ठ), (ड), (ढ) एवं (ण) के प्रयोजन हेतु 60 से अधिक बैठक क्षमता वाले वाहनों पर, 60 से अधिक प्रत्येक सीट हेतु मासिक कर की गणना, विद्यमान 60 सीट हेतु कर की मासिक दर के आनुपातिक होगी.''

(तीन) मद (चार) के उप-मद (क) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह 'रूपये 85/- प्रति तिमाही' के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह 'रूपये 100/- प्रति तिमाही' प्रतिस्थापित किया जाये.

उक्त अधिनियम के द्वितीय अनुसूची के भाग-एक में, –

एक. मद (1) के कॉलम (2) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह 'यान की कीमत का 5 प्रतिशत' के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह 'यान की कीमत का 7 प्रतिशत' प्रतिस्थापित किया जाएं.

दो. मद (2) के उप-मद (क) एवं (ख) के कॉलम (2) में, –

(क) शब्द, अंक एवं चिन्ह 'यान की कीमत का 6 प्रतिशत' के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह 'यान की कीमत का 8 प्रतिशत' प्रतिस्थापित किया जाएं.

(ख) शब्द, अंक एवं चिन्ह 'यान की कीमत का 7 प्रतिशत के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह 'यान की कीमत का 9 प्रतिशत' प्रतिस्थापित किया जाएं.

तीन. मद (5) के कॉलम (2) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह 'यान की कीमत का 7 प्रतिशत के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह 'यान की कीमत का 9 प्रतिशत' प्रतिस्थापित किया जाएं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.